

## दंड परहार के नए मानदंड

### प्रलिमिंस के लिये:

राष्ट्रपति की कृपा शक्ति, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 161, राज्यपाल।

### मेन्स के लिये:

छूट और संबंधित संवैधानिक प्रावधान।

## चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने [स्वतंत्रता के 75वें वर्ष](#) के उपलक्ष्य में **कैदियों को विशेष छूट** देने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दशा-नरिदेश जारी किये हैं।

## दशा-नरिदेश:

### ■ विशेष परहार:

- [आजादी का अमृत महोत्सव](#) समारोह के हिससे के रूप में कैदियों की एक नश्चिती श्रेणी को विशेष छूट दी जाएगी। इन कैदियों को तीन चरणों में रहा किया जाएगा।

### ■ पात्रता:

- **50 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएँ और ट्रांसजेंडर** कैदी तथा **60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुष** कैदी।
  - इन कैदियों को अर्जति सामान्य छूट की अवधि की गणना किये बिना अपनी कुल सज़ा अवधि का 50% पूरा करना होगा।
- **70% या अधिक की वकिलांगता** के साथ **शारीरिक रूप से अक्षम** कैदी जिन्होंने अपनी कुल सज़ा की अवधि का 50% पूरा कर लिया है।
- गंभीर रूप से बीमार सज़ायाफ़ता कैदी जिन्होंने अपनी कुल सज़ा का दो-तहाई (66%) पूरा कर लिया है।
- गरीब या नरिधन कैदी जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है लेकिन उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न कर पाने के कारण वे अभी भी जेल में हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कम उम्र (18-21) में अपराध किया हो और उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक संलपितता या मामला नहीं है तथा अपनी सज़ा की अवधि का 50% पूरा कर लिया है, वे भी पात्र होंगे।

### ■ योजना से बाहर रखे गए कैदी:

- मौत की सज़ा के साथ दोषी ठहराए गए व्यक्ति या जहाँ मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है या किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है, जिसके लिये मौत की सज़ा को सज़ा में से एक के रूप में नरिदष्टि किया गया है।
- आजीवन कारावास की सज़ा के साथ दोषी ठहराए गए व्यक्ति।
- आतंकवादी गतविधियों में शामिल अपराधी या दोषी व्यक्ति- [आतंकवादी और वधितनकारी कार्यकलाप \(नविवरण\) अधिनियम, 1985](#); आतंकवादी रोकथाम अधिनियम, 2002; गैरकानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967; वस्फोटक अधिनियम, 1908; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1982; आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और अपहरण वरिधी अधिनियम, 2016।
- दहेज हत्या, जाली नोट, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध संबंधी दंड को अधिक कठोर बनाने हेतु बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012; अनैतिक तस्करी अधिनियम, 1956; धन शोधन नविवरण अधिनियम, 2002 आदि के अपराध के लिये दोषी व्यक्तियों के मामले में राज्य के खिलाफ (आईपीसी का अध्याय-VI) अपराध और कोई अन्य कानून जसि राज्य सरकारें या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन बाहर करना उचित समझते हैं, विशेष छूट के लिये योग्य नहीं होंगे।

## परहार:

### ■ परहार के बारे में:

- परहार (Remission) एक बट्टि पर किसी दंड या सज़ा की पूर्ण रूप से समाप्ति है। परहार फ़रलो (Furlough) और पैरोल (Parole) दोनों से इस मायने में अलग है कियह जेल जीवन से वरिम के वपिरीत सज़ा में कमी है।
- परहार में दंड की प्रकृति अछूती रहती है, जबकि अवधिकम हो जाती है, यानी शेष दंड को पारति करने की आवश्यकता नहीं होती है।

- परहार का प्रभाव यह है कि कैदी को एक नशिचति तारीख दी जाती है जिस दिन उसे रहिा कयिा जाएगा और कानून की नज़र में वह एक स्वतंत्र व्यक्ती होगा ।
- हालाँकि परहार छूट की कसिी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में इसे रद्द कर दयिा जाएगा और अपराधी को पूरी अवधि करनी होगी जसिके लयिे उसे मूल रूप से सज़ा सुनाई गई थी ।

#### ■ पृष्ठभूमि:

- परहार प्रणाली को जेल अधिनयिम, 1894 के तहत परिभाषित कयिा गया है, जो कुछ समय के लयिे लागू नयिमों का एक समूह है, जो जेल में कैदयिों को उनके व्यवहार का आकलन करने और उसके परिणामस्वरूप सज़ा को कम करने के लयिे वनियिमति करता है ।
- केहर सहि बनाम भारत संघ (1989) मामले में यह देखा गया कि न्यायालय कसिी कैदी को सज़ा से छूट हेतु वचिार कयिे जाने से इनकार नहीं कर सकता है ।
  - न्यायालय द्वारा इनकार कयिे जाने से कैदी को अपनी आखिरी साँस तक जेल में ही रहना होगा, उसके मुक्त होने की आशा नहीं की जा सकती ।
  - यह न केवल सुधार के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, बल्कि यह अपराधी को जीवन के अंत तक प्रकाश की एक झलक के बिना एक अंधेरे वातावरण में धकेल देगा ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने **हरयाणा राज्य बनाम महेंद्र सहि (2007) मामले** में भी कहा कि भले ही कसिी भी दोषी को परहार देना उसका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य को अपनी परहार संबंधी कार्यकारी शक्तिका प्रयोग करते समय प्रत्येक व्यक्तीगत मामले को ध्यान में रखते हुए एवं प्रासंगिक कारकों को देखते हुए वचिार करना चाहयिे ।
  - इसके अलावा न्यायालय का यह भी वचिार था कि छूट के लयिे वचिार कयिे जाने के अधिकार को कानूनी माना जाना चाहयिे ।
  - यह प्रावधान संवधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत आने वाले दोषी के लयिे संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कयिा गया है ।

#### ■ संवैधानिक प्रावधान:

- राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संवधान द्वारा **क्षमा की संप्रभु शक्ति** प्रदान की गई है ।
- **अनुच्छेद 72** के तहत राष्ट्रपति कसिी भी व्यक्ती की सज़ा को क्षमा, लघुकरण, वरिम या प्रवलिंबन कर सकता है या नलिंबति या कम कर सकता है ।
  - यह सभी मामलों में कसिी भी अपराध के लयिे दोषी ठहराए गए कसिी भी व्यक्ती हेतु कयिा जा सकता है, जहाँ:
    - सज़ा कोर्ट-मार्शल द्वारा हो, उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित कसिी भी कानून के तहत अपराध के संदर्भ में है और मौत की सज़ा के सभी मामलों में ।
- अनुच्छेद 161 के तहत **राज्यपाल सज़ा को क्षमा, प्रवलिंबन, वरिम या परहार दे सकता है, या सज़ा को नलिंबति, हटा या कम कर सकता है** ।
  - यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामले में कसिी भी कानून के तहत दोषी ठहराए गए कसिी भी व्यक्ती के लयिे कयिा जा सकता है ।
- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है ।

#### ■ परहार की सांघिक शक्ति:

- **दंड प्रक्रया संहति (CRPC)** जेल की सज़ा में छूट का प्रावधान करती है, जसिका अर्थ है कि पूरी सज़ा या उसका एक हिस्सा रद्द कयिा जा सकता है ।
- धारा 432 के तहत 'उपयुक्त सरकार' कसिी सज़ा को पूरी तरह या आंशिक रूप से, शर्तों के साथ या उसके बिना नलिंबति या माफ कर सकती है ।
- धारा 433 के तहत कसिी भी सज़ा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम कयिा जा सकता है ।
- यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदयिों को रहिा करने का आदेश दे सकें ।

## शब्दावली:

- **क्षमा (Pardon)**- इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दयिा जाता है तथा दोषी को दंड, दंडादेशों एवं नरिहर्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दयिा जाता है ।
- **लघुकरण (Commutation)**- इसका अर्थ है सज़ा की प्रकृती को बदलना जैसे-मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना ।
- **परहार (Remission)**- सज़ा की अवधि में बदलाव जैसे- 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना ।
- **वरिम (Respite)**- वशिष परिस्थितयिों की वजह से सज़ा को कम करना । जैसे- शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण ।
- **प्रवलिंबन (Reprieve)**- कसिी दंड को कुछ समय के लयिे टालने की प्रक्रया । जैसे- फाँसी को कुछ समय के लयिे टालना ।

## स्रोत: द हट्टू

